न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 457/2017 जीसीएमएस **नम्बर 2017/00429**

1. लल्लूराम
2. कन्याणसहाय
3. बाबूलाल पि0 कालूराम उर्फ काल्या जाति माली निवासी विजयसिंहपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर राज0।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमू जिला जयपुर।
2. रामपाल पुत्र मंगलचन्द
3. नेहरू
4. कैलाश पुत्रान् मंगलचन्द जाति माली निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.06.2017 प्रकरण संख्या 04/2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर बउनवानी कालूराम बनाम राजस्थान सरकार आदि।

उपस्थित–

1. श्री बंशीधर जाट वकील अपीलान्ट
2. श्री गणेश विजयवर्गीय वकील रेस्पो0 2 लगायत 4 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–15.05.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 10.06.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 प्रस्तुत कर वाके ग्राम विजयसिहपुरा तहसील चौमू जिला–जयपुर में स्थित पुराने खसरा नं 222 के सेटलमेन्ट दौराने नये खसरा नम्बर 267 रकबा 0.10 है0 में राजस्व नक्शे में की गई त्रुटि को दुरूस्ती हेतु प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 10.06.2017 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 10.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट लल्लूराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर दिनांक 10.06.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 प्रस्तुत कर वाके ग्राम विजयसिहपुरा तहसील चौमू जिला–जयपुर में खसरा नं 262, 267, 631, 632, 637, 639, 645, 656, 661, 662, 663/1028, 666, 670, 688, 691, 752/1034, 753 कुल किता 17 कुल रकबा 3.66 है0 स्थित है जिसमें से केवल मात्र खसरा नं. 267 रकबा 0.10 है0 ही विवादित है। गत खसरा नं. 222 जिसके नये खसरा नं. 267 बनाये गये भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल को सही बना दिया गया परन्तु जो नक्शा बनाया गया है। वह गलत तैयार कर पूर्व से पश्चिम में भूमि को कम कर दिया गया अर्थात पूर्व नक्शेनुसार हाल नक्शा ट्रैस तैयार नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये कैम्प कोर्ट मुख्यालय चौमू पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड नक्शे के विपरित तैयार कर दिया जाता है तो वह लिपीकीय त्रुटि की श्रेणी में ही आता है जो संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत ही दुरूस्त किया जाना आवश्यक है परन्तु लोक अदालत में बिना सहमति के आधार पर उपस्थित हुये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर निर्णय दिनांक 10.06.2017 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर मेरिट पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रार्थी द्वारा राजस्व नक्शे में की गई त्रुटि को दुरूस्ती हेतु प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सभी तथ्यों की जॉच एवं रिकॉर्ड के अवलोकन के उपरान्त ही प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये गये जो कि उचित एवं विधिसम्मत है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में नकल दिनांक 08.12.2017 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद ग्राम विजयसिहपुरा तहसील चौमू जिला–जयपुर में स्थित पुराने खसरा नं 222 के सेटलमेन्ट दौराने नये खसरा नम्बर 267 रकबा 0.10 है0 में राजस्व नक्शे में की गई त्रुटि को दुरूस्ती हेतु को लेकर है। प्रार्थी द्वारा भूमि कम अंकित होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 के तहत् पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अनुरूप नहीं होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् केवल राजस्व रिकॉर्ड में रही लिपिकीय त्रुटि या स्वीकृत त्रुटियों को ही परिशोधित किये जाने का प्रावधान है अगर किसी काश्तकार की भूमि कम या ज्यादा हो रही है तो यह धारा 136 में प्रावधित नहीं है। इसके लिए पक्षकार सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के तहत अनुतोष प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जयपुर का निर्णय दिनांक 10.06.2017 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर